प्रणाली की आवश्यकताओं, खुले बाजार में खपत की प्रवृत्तियों और उचित दामों पर चीनी उपलब्ध करने को ध्यान में रखकर वर्तमान चीनी वर्ष 1988-89 के लिये लेवी से मुक्त बिक्री के कोटे के अनुपात को 50:50 से बदल कर 45:55 कर दिया गया है।]

(ग) और (घ) चीनी फैक्टरी की लाभकारिता अथवा अन्यथा कई कारणों पर निर्भर करती है, जिनमें गन्ने की पर्याप्त उपलब्धता, तकनीकी और प्रबन्धकीय कार्य-कुशलता, मुक्त बिक्री से औसत प्राप्तियां आदि शामिल हैं। अतः उत्पादन में वृद्धि होने अथवा मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे के अनुपात में वृद्धि करने के कारण चालू मौसम के दौरान चीनी मिलों को होने वाले लाभ की मात्रा अलग से बताना संभव नहीं है, हांलांकि उपर्युक्त दोनों घटकों के फलस्वरूप उनकी वित्तीय सक्षमता में सुधार होने की आशा है।

राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम

2786. **सरदार ज्ञानजीत सिंह अरोड़ा:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाल श्रमिकों के हित में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय बाल श्रमिक कार्यक्रम नामक एक परियोजना तैयार की थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या देश में इस परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है ; यदि हां, तो इसे किन-किन स्थानों पर क्रियान्वित किया जा रहा है तथा इस परियोजना से कितने श्रमिक लाभान्वित हुए हैं ; और

(ङ) यदि इस परियोजना को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री राधाकृष्ण चालवीय) : (क), (ख) और (घ) राष्ट्रीय बाल श्रमिक नीति के परियोजना आधारित प्लान में उल्लिखित निम्नलिखित तीन क्षेत्रों में काम कर रहे बालकों के कल्याण के लिये परियोजनायें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की सहायता से तैयार की गई हैं तथा उन्हें इस समय लागू किया जा रहा है :—

(1) जयपुर, राजस्थान में बहुमूल्य पत्थर पालिश करने का उद्योग।

(2) मध्य प्रदेश में मंदसौर में स्लेट उद्योग।

(3) आन्ध्र प्रदेश में मारकापुर में स्लेट उद्योग।

तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन केवल परियोजना को तैयार करने तक सीमित है। इन परियोजनाओं के लिये धन की व्यवस्था पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा की जाती है।

इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्यकलाप शुरू किये गय है/शुरू किये जा रहे हैं :—

(i) बाल श्रमिकों के रोजगार को प्रतिषिद्ध करने वाले कानूनों के प्रवर्तन को तेज करना ;

(ii) बाल श्रमिकों के परिवारों को आय/रोजगार सृजन योजनाओं के अन्तर्गत लाना।

(iii) उन बाल कर्मकारों के लिये विशेष स्कूल स्थापित करना जहां शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषण आहार, स्वास्थ्य देखरेख आदि की व्यवस्था की जा रही है। जब आवश्यक हो, प्रतिषिद्ध नियोजनों से निकाले गये बालकों को वजीफे दिये जाते है ताकि वे संबंधित परिवारों की आय में हुए नुकसान को पूरा कर सकें।

(iv) सामाजिक कार्यकर्त्ता ग्रुपों और अन्य साधनों द्वारा चेतना का सृजन ताकि बाल श्रमिकों के अवांछनीय पहलुओं के बारे में लोगों को शिक्षित किया जा सके तथा उन्हें विश्वास दिलाया जा सके।

इन परियोजनाओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने वाले बाल कर्मकारों की कुल संख्या लगभग 800 है।

(ग) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

राज्य व्यापार निगम के पास सोयाबीन तेल का स्टाक

2787. **श्री राम जेठमलानी :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष भी खाद्य तेलों का आयात किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तिलहनों के संबंध में गठित प्रौद्योगिकी मिशन ने आयात को निरुत्साहित करके देशीय उत्पादकों को प्रोत्साहित करने की सलाह दी थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि लगभग वर्ष के अंत में स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन के भण्डारों में 85,000 टन खाद्य तेल का भण्डार था जिसमें से 50,000 टन सोयाबीन तेल था;

(घ) क्या यह भी सच है कि इतनी बड़ी मात्रा में तेल का भण्डार होने का कारण वनस्पति घी निर्माताओं द्वारा इस तेल का उठाना न था; और

(ङ) यदि हां, तो इस सोयाबीन तेल को खपाने के लिए सरकार द्वारा क्या योजना बनाई गई है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी० एल० बैठा) : (क) जी हां।

(ख) तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के कार्य में तेजी लाने के लिए की गई थी। तिलहनों के आयात को निरुत्साहित करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि सरकार ने न तो कोई आयात किया है और न ही उसे तिलहनों के आयात का कोई प्रस्ताव ही प्राप्त हुआ है।

(ग) वर्ष के अंत पर राज्य व्यापार निगम के पास आयातित खाद्य तेलों की 85,000 मी० टन मात्रा, जिसमें 50,000 मी० टन सोयाबीन का तेल शामिल है, उपलब्ध थी।

(घ) खाद्य तेलों के देशीय उत्पादन को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने दिसम्बर, 1988 में आयातित खाद्य तेलों की 19,000/-रु० प्रति मी० टन की रियायती दर पर आपूर्ति बंद कर दी थी। वनस्पति के लिए आयातित खाद्य तेलों के निर्गम मूल्य बढ़ा देने और देशीय तेलों के कम मूल्यों पर उपलब्ध होने के फलस्वरूप वनस्पति उद्योग द्वारा आयातित तेल नहीं उठाए गए। इस प्रकार राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों के स्टाक का कुछ भाग वनस्पति उद्योग द्वारा तेल न उठाए जाने की वजह से एकत्र हुआ है। इसका अन्य कारण यह है कि इस स्टाक में वह मात्रा शामिल है जिसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए देने हेतु बाद के महीनों में आवंटित किया जाना था।

(ङ) सोयाबीन के तेल के बकाया स्टाक का इस्तेमाल सेना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु राज्यों को आवंटित करने हेतु किया जाएगा।